न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः 09/2022 दायर दिनाँक 02.03.2022

प्रार्थी		अप्रार्थी
1. तेजाराम पुत्र गुलाराम जाति जाट निवासी खाखोली तहसील डीडवाना जिला नागौर	बनाम	1. भंवरराम पुत्र पीथाराम जाति जाट .निवासी खाखोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री अजीत सिंह राठौड़ वकील प्रार्थी।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया वकील अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 30.06.2025

संक्षेप में प्रार्थी की प्रार्थना इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 812 रकबा 2. 3500 हैक्टे0 मौजा खाखोली में अवस्थित है जो की हमारी खातेदारी सुदा खेत है। उक्त खेत खसरा नम्बर 812 में वर्तमान में प्रार्थी के खेत तक पहुंचने हेतु कोई कटाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। जिस हेतु प्रार्थी ने अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 813 रकबा 1.2900 है. में से नये कट्टाणी रास्ते के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उपधारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमती लेना चाहते है।

प्रकरण को उक्त वर्णित नम्बर से दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से जरिये पत्रांक – रीडर/22/1087 दिनांक 24.05.2022 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट पर अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति दर्ज किये जाने पर पुनः रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार मौलासर से पुनः जरिये पत्रांक– राजस्व/2023/592 दिनांक 24.02.2023 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिस पर पुनः अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति दर्ज किये. जाने पर पुनः रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार मौलासर से पुनः जरिये पत्रांक– राजस्व/2025/395 दिनांक 07.04.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार मौलासर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खातेदारी भूमि के कोई कट्टाणी रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि से ही वर्तमान में आवागमन किया जा रहा है। [illegible] वर्तमान में चौडाई लगभग 14.5 फुट है। यह रास्ता खसरा संख्या 813 [illegible] है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 812 में आने जाने हेतु सबसे [illegible] रास्ता खसरा संख्या 813 की उतरी सीमा पर लगता है जिसकी चौडाई [illegible] करवाने तथा राजस्व रिकॉर्ड में कटाणी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:59:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

रास्ता दर्ज करवाना चाहते है। खसरा संख्या 812 में आने जाने हेतु रास्ते की आपेक्षित चौडाई अनुसार खसरा संख्या 813 की उत्तरी सीमा पर रास्ते के रूप में कुल 19 मीटर × 8 मीटर = 152 वर्गमीटर भूमि का उपयोग होगा। वर्तमान भूमि बाजार दर 290000 प्रति हैक्टेयर से 152 वर्गमीटर भूमि की मालियत 4408 रू का दुगुना 8816 रू बनती है। प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस बताया कि प्रार्थी को अप्रार्थी के खेत खसरान् से रास्ता दिया जाता है तो रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के बराबर भूमि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को दी जावे। तहसीलदार मौलासर से प्राप्त रिपोर्ट से न्यायालय सहमत है। उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार मौलासर की रिपॅार्ट के परिपेक्ष मे प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

—:: आदेश ::—

प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 812 में आवागमन हेतु तहसीलदार मौलासर की मौका रिपोर्ट पत्रांकः 395 दिनांक 07.04.2025 में दर्शित भूमि अप्रार्थी के खेत खसरा सं. 813 पर मार्क ए से बी में प्रस्तावित रास्ता वाके सरहद खाखोली में से रास्ता की भूमि घोषित की जाती है तहसीलदार मौलासर राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करने से पूर्व रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी0एल0सी0 दर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ते की भूमि का नियमानुसार प्रभावित खातेदारान् को भूगतान करावे। तहसीलदार मौलासर की मौका रिपोर्ट पत्रांकः 395 दिनांक 07.04.2025 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 30.06.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:59:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner